न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2022	24.3.2022	31.10.2025

गुड्डी वाई पत्नि बत्तीलाल, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी—प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज० अधिनियम

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख०नं० 411 रकबा 2.84 है० ग्राम हिंगोट्या में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि की सुरक्षा हेतु प्रार्थी ने मिट्टी की डोल बनाई हुई है जो बरसात के मौसम में नष्ट हो जाती है जिसके कारण आसपास के काश्तकारों से सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी ने दिनांक 3.1.2022 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है परन्तु पडौसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को दबाने पर उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को भूमि ख०नं० 411 रकबा 2.84 है० ग्राम हिंगोट्या पर पत्थरगढी के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल फर्द मौका ग्राम हिंगोट्या दिनांक 3.1.2022, नकल जमाबंदी सं0 2071—2074 खाता संख्या 62 ग्राम हिंगोट्या प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी दो वर्ष से अधिक समय की होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि के वर्तमान अभिलेख के की जानकारी की गई तो पाया गया कि भूमि ख0नं0 411 रकबा 2.84 है0 ग्राम हिंगोट्या वर्तमान में नगर परिषद् गंगापुर सिटी के नाम गै0मु0आबादी के रूप में दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में काश्त की भूमि नहीं रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस भूमि के बाबत् पत्थरगढी की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested